वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

चर्चा मे क्यों?

25 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- 19 सितंबर, 1965 को पिथौरागढ़ में जन्में जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। वे 1990 में बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद में पंजीकृत हुए और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रैक्टिस शुरू की।
- 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय बनने पर वह नैनीताल स्थानांतरित हुए। 20 मई, 2009 को उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। वे 2008 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष बने तथा 9 मई, 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने।
- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति**
  - भारत के संविधान का अनुच्छेद-223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है।
  - इसके अनुसार, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त कर सकता है।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/senior-justice-manoj-kumar-tiwari-becomes-acting-chief-justice-of-uttarakhand-high-court